पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 178/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. गुलाब मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
2. शराफ मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. शफी मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
4. अकबर पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
5. मोहम्मद आरीफ पुत्र दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
6. नजीर पुत्र दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
7. एक्सीस बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एक्सीस बैंक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वादी पक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि वादभूमि ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु पटवार हल्का जोगीवाला जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 211/214 में मु0नं0 207 के किला नं0 25 की 0.0232 है0 भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले, चूंकि टावर जनोपयोगी सुविधा है, इसलिए उसके सम्बन्ध में सम्बंधित सेवा प्रदाता दूरसंचार कम्पनी से पत्राचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S.)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 178/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. गुलाब मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
2. शराफ मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. शफी मोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
4. अकबर पुत्र नूरदीन जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
5. मोहम्मद आरीफ पुत्र दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
6. नजीर पुत्र दीन मोहम्मद जाति तेली निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
7. एक्सीस बैंक भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एक्सीस बैंक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**

श्री योगेश शर्मा – **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 14.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जोगीवाला के चक 11 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 207 के किला नं0 25 की कुल 0.0232 है0 भूमि वर्तमान में नूरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये रेनबो का मोबाईल टॉवर लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा मु0नं0 207 के किला नं0 25 की कुल 0.0232 है0 भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है। प्रतिवादी ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र श्री आरएस चौधरी जाति जाट हाल तहसीलदार भादरा के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 1 व 2, चित्रप्रति जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 211/214 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को मोबाईल टावर के उपयोग में लिया जा रहा है। कृषि भूमि में मोबाईल टावर का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई हैं तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध मोबाईल टावर का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

तनकी सं0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी जरिये दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य साबित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी ने बिना विधिक स्वीकृति, आदेश, रूपान्तरण के वादभूमि में मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जिसके लिए प्रतिवादी बेदखली का दायी है, इसलिए तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादभूमि पर मौका से टावर व अन्य सामग्री को हटा लिया गया है, इसलिए तनकी सं0 2 प्रतिवादी के विरूद्ध में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में व तनकी सं0 2 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई है। वादी वाद साबित करने में सफल रहा है।

उपखण्डाधिकारी भादरा

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि वादभूमि ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु पटवार हल्का जोगीवाला जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के ख़ाता सं0 211/214 में मु0नं0 207 के किला नं0 25 की 0.0232 है0 भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले, चूंकि टावर जनोपयोगी सुविधा है, इसलिए उसके सम्बन्ध में सम्बंधित सेवा प्रदाता दूरसंचार कम्पनी से पत्राचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ